न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ–82/2014–15
ग्राम डोलेसरा ,प.ह.नं. 36 तहसील तमनार

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
रायगढ़ (छ0ग0) ———— आवेदक

बनाम

1. अमृतलाल पिता दशरू जाति सतनामी
2. अमृतलाल ठसियर पिता दौलतराम जाति गांडा
3. अन्नापूर्ण जौजे विजयलाल अघरिया
4. अर्जुन स्वरूप पिता लूला कंवर
5. अर्जुन श्याम स्वरूप पिता लूला कंवर
6. अशोककुमार पिता सुंदरलाल अघरिया
7. अर्जुन पिता नित्यानंद जाति महती
8. अनिलकुमार पिता बंशीधर जाति अघरिया
9. अश्विनी, खीरसागर पिता रोहितकुमार
   कौशल्या बेवा रोहितकुमार जाति कोल्ता
10. अमितकुमार पिता डमरूधर जाति महती
11. अनुजकुमार पिता डमरूधर जाति महती
12. अशोककुमार पिता सुंदरलाल
    हेमकुंवर बेवा सुंदरलाल अघरिया
13. अरविंद पिता ओंकारप्रसाद जाति तेली
14. आसफ पिता विश्राम मिंज जाति उरांव
15. इंजोर सिंह पिता गांडाराय जाति कंवर
16. आसपकुमार शांतिएल बारा पिता निर्दोष उरांव
17. उग्रसेन पिता दुबराज रावत
18. ओमप्रकाश पिता जागेश्वर
    जयमति बेवा जागेश्वर तेली
19. करमू पिता ननकू जेमा बेवा ननकू सतनामी
20. करमू पिता ननकू सतनामी
21. कन्हैयालाल पिता माधवप्रसाद अघरिया
22. कन्हैयालाल पिता ओसराम अघरिया
23. केशवशंकर पिता महेन्द्रनाथ महती
24. कमलेश पिता खगेश्वर तेली
25. काशीप्रसाद पिता दीनबंधु अघरिया
26. खगेश्वर, मुनूदाऊ राम पिता जगतराम उरांव
27. ना0बो0खगेश्वर पिता नकुल पा0पिता नकुल पिता
    मलिकराम अघरिया
28. खगेश्वर पिता गंगाराम तेली
29. गोवर्धन,कन्हैया पिता ओसराम अघरिया
30. गंगाराम पिता ढोर्री रावत
31. गुलाबसिंह, कोना पिता बालकराम
    चक्रधर गोविंद पिता लक्ष्मीप्रसाद
    सुशीला बेवा लक्ष्मीप्रसाद,
    अंगध्वज बनमाली पिता लक्ष्मण

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
घरघोड़ा, जिला रायगढ़

खीरोबाई जौजे लक्ष्मण भूषण
पुनीराम तुलयी पिता नान्हू कुम्हार
32. गणपति पिता कांशीप्रसाद अघरिया
33. गणपति बाई पिता कार्तिकराम
बुटुबाई बेवा कार्तिकराम कंवर
34. गोवर्धन पिता ओसराम अघरिया
35. गोपाल प्रसाद पिता दीनबंधु अघरिया
36. गजानन्द पिता बरतराम अघरिया
37. घसिया पिता मंगलू कंवर
38. घांसीराम, लक्ष्मीन पिता दयाराम कंवर
39. घांसीराम, लक्ष्मीन पिता दयाराम सनतराम पिता लोधू कंवर
40. घसनीन बेवा सनूराम गांडा
41. चमारसिंह, केशव पिता कार्तिकराम गोंड़
42. चन्द्रकांति पति हेमराम अघरिया
43. मनोज पिता पोलीकार उरांव
44. चंचला जौजे कन्हैया अघरिया
45. चन्दराम पिता बीरसिंह अघरिया
46. चक्रधर पिता लक्ष्मीप्रसाद, सरधा पिता मुलूदाऊ कुम्हार
47. जयपाल, श्यामलाल, फागलाल पिता मुनू
उर्मिला बेवा मुनू मानती बेवा मुनू महती
48. जोगिन्दर वो अर्जुन पिता नित्यानंद महती
49. जगनीबाई बेवा नान्हींराम कंवर
50. जीवनलाल पिता पीलादाऊ अघरिया
51. टेंगनू, राजेन्द्र पिता गोलेनाथ, बुर्टा बेवा कार्तिकराम कंवर
52. टीकाराम पिता सत्यानंद अघरिया
53. टेकलाल, हरेकृष्ण पिता अमृतलाल अघरिया
54. टेंगनू वो राजेन्द्र पिता गोलेनाथ कंवर
55. टीकाराम पिता भुवनेश्वर अघरिया
56. डोकरी बेवा इंजोरसिंह अगरिया
57. डिग्रीलाल पिता सादराम कंवर
58. डिवाचन्द्र आ0 राजकुमार, पदमलोचन, परमेश्वर, पदमिनि पिता कनकचन्द्र
सुलोचना बेवा कनकचन्द्र महती
59. डिलेश्वर, जागेश्वर आ0 मोतीराम, ना0बा0अशोककुमार पिता मोतीराम
पा.मां बासमती वा मोतीराम, हरामती ना0बा0संतोषी पिता रतिराम
सुकमती बेवा रतीराम, रतिराम, पतिराम पिता मुकुदराम कंवर
60. दिलेश्वर पिता मोतीराम कंवर
61. तुलाराम पिता प्रेमसिंह कंवर
62. द्रुपत पिता रघुनाथ महती
63. दुर्योधन पिता जयलाल अघरिया
64. दुतीबाई जौ0 मेहत्तर गांड़ा
65. देवानंद पिता रामचन्द्र, देंगनू बेवा रामचन्द्र मणिचन्द्र आ0 दयानिधि महती
66. देवनाथ आ0 रामेश्वर तेली
67. धनसाय पिता बुधूराम उरावं
68. धनमती जौजे गोवर्धन अघरिया
69. धनुर्जय, उग्रसेन पिता दुबराज रावत
70. निरंजन, नरेश, नरेन्द्र, छोटु, अपला, सुलोचना पिता हरिसिंह
टूरटूरहीन बेवा हरिसिंह कंवर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धरमजैगढ़, जिला रायगढ़

71. नेतराम पिता दुकालू कंवर
72. नरेन्द्रकुमार पिता तुलसी कंवर
73. नवरतन पिता अशोककुमार अघरिया
74. नारायणसिंह पिता साधुराम, ना0बा0जयसिंह, ना0बा0नलिनी आ0 चैतराम पा.मा. चैनकुमारी बेवा चैतराम, सनमेत बेवा साधुराम, सनकुंवर बेवा खुशीराम, नोहरसाय पिता जबरन मेहत्तर, मालती पिता समारू, घसिया बुटी पिता मंगल कंवर
75. पिसकुमारी जौ0 रामेश्वर तेली
76. पदमन पिता आनंद महती
77. प्यारेलाल, बिहारी, इन्द्रपाल, त्रिनाथ आ0 बालमकुंद कोल्ता
78. पदमलोचन, परमेश्वर, पदमिनी पिता कनकचंद, सुलोचना बे0 कनकप्रसाद अघरिया
79. पतिराम पिता मकुन्दराम कंवर
80. पोतराम पिता पदुमलाल अघरिया
81. पदमलोचन, परमेश्वर पिता कनकचंद महती
82. प्रिंसराज, महादेवराज पता मणिकचंद्र रूकमणी देवी जौ0 मणिकचन्द्र महती
83. प्रेमकुमारी जौ0 लोकेश्वर अघरिया
84. पिताम्बर पिता चन्दराम अघरिया
85. पालूराम पिता खगेश्वर तेली
86. पारेश्वर पिता पदुमलाल तेली
87. प्रेमानंद, केकईबाई, रामकुमारी, हेमवती, खेमवती पिता रूपचंद दिलीपकुंवर बेवा रूपचंद, चन्द्रशेखर, रूपा पिता शीतल तेली सा0मौहापाली
88. पुनीमती पिता छत्तरसाय उरांव
89. फुलमती जौ0 रामसिंह कंवर
90. बुडूराम पिता लगनसाय गांडा
91. बाबूलाल पिता संतराम कोल्ता
92. बिमला जौजे संतराम कोल्ता
93. वृंदावती बेवा हरिराम, भागीरथी पिता देवान गोंड़
94. बहारतीन पिता सनुराम गांडा
95. बरतराम पिता बीरसिंह अघरिया
96. भगवतिया, विष्णु पिता कुमार कुम्हार
97. भागीरथी पिता गांडाराय कंवर
98. भागीरथी, सारथी पिता कुमारमणी कोल्ता
99. भरतलाल पिता लक्ष्मीप्रसाद अघरिया
100. भवानीशंकर पिता महेन्द्रनाथ महती
101. भानुमती बेवा डमरूधर, ना.बा.प्रेमकुमारी पिता डमरूधर अघरिया
102. भानुमती बेवा डमरूधर अघरिया
103. महिंगल पिता छत्तरसाय अघरिया
104. मुनकी बेवा टेंगना, राधेश्याम, बासुदेव पिता विष्णु कुंती आ0 विष्णु, गुरवारी बेवा विष्णु घसिया
105. माणिकचन्द्र, पीरोबाई पिता गोकुल महती
106. महेन्द्रनाथ, डमरूधर पिता प्रेमानंद, माणिकचंद्र पिता गोकुलप्रसाद महती
107. माणिकचंद्र पिता गोकुल महती
108. महेशप्रसाद पिता गोवर्धन अघरिया
109. माधवप्रसाद पिता उजितराम अघरिया
110. महिंगल पिता छत्तरसाय, छत्तरसाय पिता सदाराम अघरिया
111. महेत्तर पिता समारू कंवर
112. महेत्तर पिता समारू कंवर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
घरघोड़ा, जिला रायगढ़

113. मुनूदाऊ पिता जगतराम उरांव
114. मनबोध पिता जीवर्धन अघरिया
115. मुनकी बेवा टेंगना, लीलावती वो शांति पिता टेंगना, राधेश्याम, बासुदेव पिता विष्णु कुंती आ0 विष्णु, गुरवारी बेवा विष्णु घसिया
116. मेहत्तर पिता समारू, शांतनु पिता पदमन कंवर
117. मनमोहन पिता बरतराम अघरिया
118. यशोदा जौजे अशोककुमार अघरिया
119. रामचरण, सुमित्रा, फूलमति; रत्नाबाई बुंदाबाई पिता गंगाराम संतराम, कार्तिकराम ललित पिता नान्हींराम कंवर
120. रत्नावती बेवा तिलकराम रूकमणी बेवा तिलकराम कंवर
121. रामदुलारी जौजे अश्विनी कुमार अघरिया
122. राधेश्याम, बासुदेव पिता विष्णु, गुरवारी बेवा विष्णु घसिया
123. रतिदेव पिता घांसीकर ब्राम्हण
124. रामसिंह पिता बरायिंह, नाबा.महादेव ना.बा. टीकम पिता जयराम पा.मां घसनीन बेवा जराम, प्रेमाबाई बेवा जयराम साधमती बेवा बीरसिंह कंवर
125. राजेन्द्र पिता गोलेनाथ कंवर
126. रामप्रसाद, रामसिंह पिता बुढा कंवर
127. रूपचंद, सत्यवान पिता अश्वनी कुमार अघरिया
128. रामप्रसाद पिता अनंतराम उरांव
129. रतनसाय पिता चैतराम उरांव
130. राधिका बेवा लक्ष्मीप्रसाद कोल्ता
131. राधेश्याम पिता विष्णु घसिया
132. रक्षपाल पिता खगेश्वर तेली
133. लक्ष्मीराम पिता सालिकराम अघरिया
134. श्रीमती ललितकुंवर जौ0 चंदराम अघरिया
135. लुकेश्वर पिता शिवप्रसाद अघरिया
136. बिदासी बेवा टेटकू, सुनाऊ पिता सुकुल कंवर
137. विद्याधर पिता गजानन्द, रत्नाबाई बेवा गजानन्द तेली
138. विरेन्द्र पिता गजानंद, रत्नाबाई बेवा गजानंद तेली
139. श्यामकुमार, रामकुमार, रामप्रसाद पिता बोलोराम उरांव
140. शान्तनु पिता पदमन कंवर
141. शैलेन्द्रकुमार पिता हीरालाल, अरविंद पिता हीरालाल, कमलाबाई प्रेमसिंह कंवर
142. शुरूकिशन पिता शंकरकिशन मांझी
143. साधुराम, भगतराम, जगतराम पिता मनराखन, टेंगना पिता पीला राधेश्याम, बासुदेव, कुन्ती पिता विष्णु, गुरवारी बेवा विष्णु घसिया
144. सुकमेत, गुरवारी, मित्रो, पांचो, फूलमेत, मंगलसाय, धनसाय पिता बुधु उरांव
145. सुकमेत गुरवारी मित्रो पांचो फूलमेत मंगलसाय उरांव
146. सनकुंवर बेवा बरतराम, लक्ष्मीप्रसाद पिता देवचरण, गंगाराम पिता महेश्वर गांडा
147. सुनीलकुमार, लक्ष्मीन, केतकी, लायबानो पिता कृष्णचन्द्र, रेणुका बेवा कृष्णचन्द्र महती
148. सुरेशकुमार पिता बंशीधर अघरिया
149. सोहन पिता ननकी सतनामी
150. साधराम पिता घांसीराम कंवर
151. सत्तार खान पिता नूर मोहम्मद खान
152. सकुल पिता कोन्दा उरांव
153. संतराम, कार्तिकराम, ललितकुमार पिता नान्हींराम, बुंदो बेवा नान्हींराम कंवर
154. सुनाऊ पिता सुकूल कंवर
155. साधुराम, भगतराम पिता मनराखन घसिया

अनुविभागीय अधिकारी (रा
धरमजयगढ़, जिला रायगढ़

156. सुंदरमती पिता सनुराम गांडा
157. ना0बा0संजैय पिता टीकाराम, टीकाराम पिता भुवनेश्वर अघरिया
158. सुकंलाल पिता धोनी उरांव
159. सतीशचन्द्र पिता नित्यानंद सोंढी
160. सुरेन्द्र पिता गजानंद, रत्नाबाई बेवा गजानंद तेली
161. सरधाराम पिता मुनूदाऊ कुम्हार
162. हिमांशु पिता रामेश्वर तेली
163. हेमकुमार पंकजकुमारी नान्हीं पिता आशाराम बुंदकुंवर बेवा आशाराम
164. हृषिकेश, ऋषिकेश, प्रदीप पिता पंचराम कंवर
165. हेमराम पिता चैतन अघरिया
166. हृषिकेश पिता पंचराम, डिग्रीलाल पिता साधुराम कंवर
167. अर्जुनप्रसाद पिता दीनबंधु अघरिया
168. अमरसिंह पिता बुड़गा कंवर
169. अशोककुमार पिता सुंदरलाल, हेमकुंवर पिता सुंदरलाल, जयलाल विजयलाल, पदुमलाल पिता मुकुतराम कांशीप्रसाद शिवप्रसाद चैतनप्रसाद अर्जुनप्रसाद पिता दीनबंधु रूपसिंह पिता जैतराम कलिंदर, जलिन्धर, पिता मायाराम, तेजराम, महेशराम, साहेबराम, पिता भुवनेश्वर, रामेश्वर, पिता मायाराम, छत्तर, निलाम्बर,पिता सदाराम, भुवनेश्वर, ओसराम, पिता चंदन, नंदराम, चंदराम, बरतराम, पिता वीरसिंह अघरिया
170. कलिन्दर पिता मायाराम अघरिया
171. गुरवारी पिता शिकारी मंगलसिंह पिता भिखारी गोड
172. घनश्याम, तुलसी, राजकुमारी, पिता सुग्रीव सुकदेव पिता महेश्वर निषाद
173. छबीशंकर पिता सहदेव, मंदोदरी बेवा सहदेव कोलता
174. छत्तरसाय पिता सदाराम अघरिया
175. जगदीश्वर, परमेश्वर पिता गोपाल अघरिया
176. जलिन्धर पिता मयाराम अघरिया
177. टीकाराम पिता रूपसिंह अघरिया
178. टीकाराम पिता भुवनेश्वर अघरिया
179. तुलाराम, नान्हीराम, हीरालाल पिता प्रेमसिंह कंवर
180. तेजराम, महेशराम, साहेबराम पिता भुवनेश्वर अघरिया
181. दुर्योधन पिता जयलाल अघरिया
182. नारायण पिता आनंदराम, बहारतीन बेवा आनंदराम गांडा
183. नोहरसाय पिता जरवन, रेंगटी बेवा जरवन अमरसिंह पिता बुडगा कंवर
184. नीलाम्बर पिता सदाराम अघरिया
185. नंदराम पिता वीरसिंह अघरिया
186. नारायण पिता साधुराम, नाबा. जयसिंह नाबा. नालिनी, पिता चैतराम, पा.मा. चैनकुमारी, पिता चैतराम सनमेत बेवा साधुराम कंवर
187. पदमन पिता आनंदराम, संतराम, कार्तिकराम, पिता नान्हीराम नीलम, निम्रल, पिता ललीत, कमला बेवा ललीत, मु. बुंदो बे. नान्हीराम सुखसागर पिता रघुवर, भानुमति बेवा रघुवर कंवर
188. परमानंद, दशरथ, तनुप्रसाद, शिशुपाल, पिता रामसिंह बिदासी बे. टेटकू, सुनाऊ, पिता सुकूल इंजोरसिंह पिता गांडाराय कंवर
189. पदुमलाल पिता मुकुतराम अघरिया
190. बालमुकुंद पिता गणेशराम कोलता
191. बोधराम पिता गणेशराम कोलता
192. बंशीधर पिता जयलाल अघरिया
193. मेघनाथ, रविशंकर पिता मंगल कंवर
194. मधुसूदन, अश्वनी पिता नीलाम्बर महती

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धरघोड़ा, जिला रायगढ

195. मंगल पिता फौदा रामलाल युधिष्ठिर, रामचरण, सुमित्रा, फुलमती, रत्नाबाई बुंदोबाई, पिता गंगाराम, भानुप्रताप, रामप्रसाद पिता चंद्रमणी, रथकुंवर पिता चंद्रमणी कंवर
196. मोहरसाय, पिता चमारसिंह, पुनीराम, रजमति, पिता बालकुमार रतियो बे. बालकुमार करमसिंह पिता जयकुमार फुलकुमारी बे. जयकुमार जानकी पिता चमारसिंह उरांव
197. मेहत्तर पिता समारू कंवर
198. रघुनाथ, रामनाथ, लोकनाथ, पिता दफेदार, छायामति, जौ. दफेदार कंवर
199. रामेश्वर पिता मयाराम अघरिया
200. विजयलाल पिता मुकुतराम अघरिया
201. श्यामकुमार, रामकुमार, रामप्रसाद, परसुराम पिता बोलोराम गंगाबाई बे. बोलोराम उरांव
202. सावित्री, जोगिंदर, अर्जुन, सहोद्रा, सुकांति, शांतिबाई चंद्रमा पिता नित्यानंद महती
203. सनकुंवर, फूलकुंवर, बेवा खुनीराम कंवर
204. सनातन, हरगोविंद पिता आत्माराम अघरिया
205. हीरालाल, प्यारेलाल पिता बल्दु रत्नावती, रूकमणी बेवा तिलकराम कंवर
206. शांतनु पिता पदमन कंवर
207. आयुष पिता गौरीशंकर नाबा. पियुष पिता गौरीशंकर पा. मामा ब्रजेश पिता सत्यनारायण ब्राहम्ण
208. मुकेश पिता गौरीशंकर अग्रवाल
209. श्रीराम गोयल पिता सज्जन अग्रवाल
210. भोलशंकर, विजयशंकर, अजय कुमार, संजय कुमार पिता साहेबराम पूर्णिमा बेवा साहेबराम महती
211. जगतराम पिता फकीरो महती
212. राजाराम पिता फकीरो महती
213. गांधीराम पिता फकीरो महती
214. करमू पिता ननकू, जेमा बे. ननकू सतनामी
215. गंगाराम पिता खोरसी कंवर
216. सोहन पिता ननकी सतनामी
217. आनंदराम पिता धोनो उरांव
218. सविता पति विजय तेली
219. किशोर कुमार पिता गोविंदराम अघरिया
220. रूकमणी देवी पति माणीकचंद महती
221. समीर पिता अशोक तेली

सभी ग्राम डोलेसरा तहसील तमनार जिला रायगढ़ ———अनावेदक गण

अवार्ड

(दिनांक 25 अगस्त, 2017)

यह प्रकरण मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ (छ0ग0) के पत्र क्रमांक जिव्याउके–रा/भू–अर्जन/2014/5497 रायगढ, दिनांक 25.08.2014 के अनुसार ग्राम डोलेसरा तहसील तमनार जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा 181.038 हे0 जिसे विशेष सचिव छ0ग0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के ज्ञाप क्रमांक एफ–11–15/2009/11/6 रायपुर दिनांक 06.05.2013 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन अधिनियम 1894 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्जन की सैद्वांतिक सहमति प्रदान किये जाने तथा आयुक्त उद्योग संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक 149/अधोविक/भूअ./ 2009/ रायपुर दिनांक 06.06.2013 के तहत उक्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ को अधिकृत किये जाने के अनुक्रम में ग्राम डोलेसरा पटवारी हल्का नं0 36 तहसील तमनार जिला रायगढ़ की निम्नांकित भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–अर्जन हेतु

प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया फलस्वरूप प्रकरण भू–अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रकरण प्रारंभ किया गया ।

भूमि का विवरण

ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा
403/3	0.085	400/2	0.085	508/2 ख	0.062	535/2 ख	0.057
625/1	0.421	625/2	0.607	580/1	0.214	607/1	0.141
686/2	0.405	608	0.117	609	0.235	607/2	0.142
687/3	0.365	732	0.352	753/2	0.194	753/1	0.085
413	0.401	690	0.837	382/1/3	0.268	383/2/3	0.008
387/1/3	0.312	434/3	0.122	460/2/3	0.083	479/3	0.023
513/3	0.057	517/3	0.065	538/3	0.068	574/2	0.042
589/3	0.045	597/3	0.048	610/3	0.045	756/3	0.098
772/3	0.051	382/1/4	0.248	383/2/4	0.012	387/1/4	0.313
434/4	0.121	460/2/4	0.083	470/2	0.036	479/4	0.024
513/4	0.057	517/4	0.024	538/4	0.067	589/4	0.046
597/4	0.047	599/2	0.057	610/4	0.046	756/4	0.098
772/4	0.051	465/1	0.093	467/1	0.109	471/1	0.276
529/1	0.242	630/1ख	0.123	389/2	0.093	525/2	0.405
766/1	0.125	781/2	0.077	687/2	0.194	781/1	0.028
404/1	0.599	563/1क	0.085	563/2क	0.083	466/2ग	0.044
508/2क/1	0.084	535/2क/1	0.046	542/2	0.089	542/5	0.061
542/802/1	0.142	542/802/2	0.267	542/803	0.049	791/1	0.101
419/1	0.262	563/1ख	0.085	563/2 ख	0.083	564	0.129
647/2	0.162	714/2	0.210	388/3	0.089	473/2	0.170
507/3	0.130	578	0.089	595/2	0.243	622/3	0.050
633	0.239	699/2	0.203	710/2	0.200	752	0.239
434/2	0.121	470/1	0.036	513/2	0.057	517/2	0.024
538/2	0.068	460/2/2	0.083	583/2/2	0.012	589/2	0.046
597/2	0.047	599/1	0.056	610/2	0.046	756/2	0.099
479/2	0.023	772/2	0.050	537/2	0.092	556/2	0.085

556/8	0.035	624/3	0.041	626/2ख	0.040	626/2ड	0.024
770/4	0.073	773/3	0.057	577	0.081	535/2क/5	0.071
770/1	0.210	496/2	0.069	801/1	0.304	801/2	0.101
701/2	0.282	701/3	0.281	466/2ड	0.089	508/2क/3	0.143
388/1	0.449	502	0.802	534	0.324	746	0.380
755	0.328	728	0.016	708	0.445	709/1	0.035
725/2	0.202	448/2ख	0.525	451/6 क	0.121	451/8ख	0.081
451/8घ	0.125	451/6ग	0.122	521/6ख	0.091	507/2	0.129
622/2	0.051	699/2	0.202	717/2	0.244	717/3	0.080
757	0.384	749/1	0.126	749/3	0.145	749/4	0.077
572/2	0.247	572/6	0.049	572/7	0.028	392	0.028
787	0.186	410	0.186	793/2	0.097	794	0.089
395/1	0.159	587	0.445	665/2	0.202	451/2ख	0.188
429/2ख	0.024	521/2ख	0.052	739	0.024	740	0.316
748/2	0.093	763/2ख	0.040	769/2	0.020	532/2	0.457
604	0.053	493	0.057	553	0.057	558	0.198
784	0.138	697	0.219	458/1	0.486	713	0.247
714/1	0.632	438	0.097	750	0.450	488/1	0.128
488/2	0.127	495	0.299	496/1	0.069	440	0.053
430/2	0.202	446	0.008	448/2क	0.101	448/2ग	0.218
451/6ख	0.122	451/8क	0.081	451/8ग	0.130	521/6क	0.093
473/1	0.170	507/1	0.259	615	0.093	618	0.174
686/3	0.101	450/1	0.113	449/2	0.178	429/2क	0.025
451/2क	0.189	521/2क	0.053	525/3	0.243	525/4	0.162
525/7	0.089	525/8	0.121	762/2	0.093	763/2क	0.045
795/8	0.113	795/9	0.134	571	0.020	451/4	0.373
748/4	0.093	724	0.271	736/1	0.307	736/2	0.239
417	0.809	800/1	0.077	466/2ख	0.022	412/3	0.185
546/2	0.093	560/4	0.126	766/3	0.126	584/2	0.809

अनुविभागीय अधिकारी
घरघोड़ा, जिला रायगढ़

670/2	0.195	449/4	0.101	565/2	0.089	795/4	0.247
785	0.356	531/3	0.105	531/9	0.202	594/1	0.769
390	0.393	466/1	0.045	508/1	0.048	555/1	0.020
727	0.243	715/2	0.137	774	0.664	795/2	0.198
796/2	0.053	684/2	0.526	684/4	0.157	684/5	0.134
429/4	0.049	521/4	0.105	762/4	0.097	762/1	0.093
763/1	0.085	763/4	0.085	769/1	0.020	769/4	0.020
607/5	0.142	457	0.138	758/3	0.178	721	0.227
503/2	0.114	572/4	0.004	666/2	0.057	671	0.129
758/5	0.024	556/5	0.085	556/7	0.035	624/2	0.040
773/2	0.059	466/2घ	0.045	508/2क/2	0.085	535/2क/2	0.092
555/2	0.150	758/2	0.405	780	0.417	412/1	0.184
412/4	0.189	560/1	0.129	766/4	0.121	430/8	0.020
481	0.097	547/4	0.101	547/7	0.170	547/9	0.129
726/2	0.255	753/4	0.085	783/4	0.166	547/13	0.681
648/2	0.405	548/1	0.247	548/2	0.324	677	1.141
395/3	0.159	468/1	0.037	477/2	0.065	505	0.138
480/1/1	0.087	403/2	0.162	547/2	0.065	547/3	0.109
648/1	0.040	754	0.243	431/2	0.405	382/1/1	0.248
383/1/1	0.008	387/1/1	0.312	434/1	0.122	460/2/1	0.082
479/1	0.023	513/1	0.056	517/1	0.061	538/1	0.068
574/1	0.043	589/1	0.045	597/1	0.048	610/1	0.045
756/1	0.098	772/1	0.050	709/3	0.034	725/1	0.248
536/2	0.101	536/4	0.231	573/1	0.184	593/2	0.016
712/1	0.105	798/2	0.283	798/3	0.162	799/2	0.696
703	0.214	706	0.186	460/1	0.607	626/1	0.291
512	0.259	387/2	0.526	469	0.073	747/2	0.287
747/5	0.065	419/2	0.268	423/2	0.247	423/3	0.129
523/2	0.061	675/2	0.109	723/2	0.105	729/2	0.238

अनुविभागीय अधिकारी
धरसीवा, जिला रायपुर

557	0.951	430/3	0.202	430/4	0.204	430/5	0.061
758/4	0.405	730	0.170	795/5	0.268	795/6	0.137
800/2	0.405	705	0.097	779	0.364	575/5	0.276
619/2	0.105	745	0.134	777	0.061	711/1	0.809
747/9	0.470	747/11	0.064	747/13	0.068	630/11	0.238
630/4	0.243	441	0.210	430/6	0.057	527/2	0.063
568	0.231	718/3	0.089	704	0.095	751	0.405
429/3	0.049	451/3	0.145	453	0.097	521/3	0.105
522	0.024	565/1	0.089	748/3	0.096	762/3	0.093
763/3	0.085	769/3	0.021	429/1	0.055	451/1	0.339
521/1	0.105	748/1	0.093	525/1	0.277	686/1	0.343
628/1	0.030	630/12	0.057	630/13	0.047	631	0.093
629/2	0.041	635	0.081	629/1	0.040	560/2	0.162
733	0.486	533/2/2	0.222	542/1/2	0.057	483/2	0.033
570/2	0.170	613/2	0.114	492/1	0.073	734	0.490
537/1	0.092	556/1	0.182	556/6	0.085	556/10	0.035
624/1	0.040	626/2d	0.046	773/1	0.060	435/2	0.433
435/3	0.049	669/2	0.405	463	0.049	487/1	0.081
468/3	0.036	743/1	0.180	743/2	0.279	483/1	0.032
533/2/1	0.223	570/1	0.170	542/1/1	0.057	613/1	0.113
765	0.186	483/3	0.008	528	0.194	536/3	0.198
536/5	0.226	573/2	0.184	593/5	0.012	712/5	0.104
535/2d/4	0.035	508/2d/5	0.032	626/2?k	0.040	626/2p	0.040
626/2N	0.024	786	0.263	405	0.081	445/2	0.117
445/3	0.049	393/2	0.036	404/2	0.599	404/3	0.607
549	0.267	559	0.466	576	0.096	412/5	0.184
546/1	0.093	560/3	0.125	766/2	0.077	766/5	0.049
445/1	0.162	707	0.445	797/1	0.497	694/2	0.191
542/4	0.101	444/1	0.024	455/1	0.239	501/1	0.075

510/1	0.457	795/7	0.267	783/1	0.356	783/2	0.089
783/3	0.085	611	0.065	797/2	0.340	406	0.101
409	0.097	443	0.376	454	0.231	588	0.182
395/4	0.160	718/1	0.089	698	0.340	701/4	0.281
403/1[k	0.809	535/2d/3	0.035	575/1	0.039	624/4	0.061
626/2x	0.079	535/1	0.020	722	0.539	466/2d	0.022
423/1	0.381	523/1	0.057	675/1	0.119	723/1	0.049
729/1	0.239	444/2	0.025	450/2	0.118	455/2	0.239
480/1/2	0.087	480/2 d	0.040	480/4[k	0.032	480/3	0.061
501/2	0.075	510/2	0.457	475/3	0.065	593/3	0.028
665/1	0.203	719	0.341	439	0.202	427/2	0.053
462/2	0.033	475/2	0.032	593/4	0.032	603	0.045
638/2	0.045	712/3	0.045	742/2	0.186	742/3	0.162
775/2	0.166	789	0.121	397	0.717	407/2	0.385
415	0.142	420	0.210	525/5	0.405	525/6	0.182
432	0.223	433	0.283	516	1.441	614	0.089
691	0.632	435/1d	0.125	561/1	0.102	566/1	0.467
591/1	0.024	605/1	0.025	637/1	0.048	649/4	0.344
649/9	0.024	649/1	0.040	692/1	0.194	716/1	0.247
737/1	0.162	737/3	0.028	731/1	0.404	731/2	0.162
731/3	0.077	731/4	0.146	389/2	0.121	394/1	0.426
396/1	0.947	398/2	0.300	398/3	0.061	402	0.231
400/1	0.089	403/1d	3.619	431/1	0.764	437	1.376
447	0.388	449/1	0.987	456/1	0.125	456/3	0.049
456/4	0.057	498/1	0.032	498/3	0.057	464/1	0.109
472/2	0.116	474/2	0.075	486/2	0.211	491/1	0.057
491/3	0.008	504/2	0.057	506/1	0.004	530/1	0.384
530/3	0.049	530/4	0.230	543/1	0.550	544	0.028
550/2	0.069	550/4	0.052	550/6	0.052	567	0.372

579/1	0.041	582/2	0.021	590/2	0.089	596/1	0.053
606/2	0.032	667/2	0.567	672/2	0.110	685/1	0.616
693/2	0.263	720/2	0.324	738/2	0.365	741/1	0.020
744	0.053	381/3	0.032	449/3	0.053	456/2	0.291
456/6	0.057	498/2	0.057	498/4	0.073	520/1	0.101
527/1	0.062	476/2	0.057	540/1	0.219	561/2	0.101
490/1	0.060	591/2	0.024	605/2	0.028	649/2	0.227
649/6	0.227	649/10	0.024	669/1d	0.121	669/1 x	0.114
692/2	0.190	716/2	0.057	716/3	0.129	718/1	0.089
737/2	0.158	632/1	0.045	427/1	0.053	462/1	0.036
536/1	0.174	583	0.218	585/1	0.357	593/1	0.089
694/1	0.255	712/2	0.198	712/4	0.057	742/1	0.526
388/2	0.449	388/4	0.089	532/1	0.405	562	0.243
584/1	0.405	595/1	0.364	622/1	0.101	670/1	0.390
702	0.271	709/2	0.441	710/1	0.201	717/1	0.324
749/2	0.348	448/1	0.101	451/5	0.243	451/7	0.411
519	0.405	521/5	0.478	476/3	0.053	490/2	0.065
497/1	0.057	540/2	0.328	540/4	0.178	541	0.077
561/5	0.101	561/3	0.227	585/2d	0.154	591/3	0.025
605/3	0.028	637/2	0.049	649/5	0.344	649/8	0.024
779	0.158	790	0.117	531/8	0.263	630/1M	0.060
701/1	0.141	736/4	0.075	747/1	0.222	747/6	0.081
747/10	0.170	747/12	0.049	376	0.498	518	0.874
545	0.932	627	0.166	646	0.065	759	0.441
391	0.032	407/1	0.048	461	0.024	464/2	0.110
472/1	0.115	474/1	0.075	486/1	0.210	491/2	0.109
504/1	0.081	506/2	0.004	530/2	0.644	543/2	0.437
550/1	0.077	550/3	0.049	550/5	0.057	579/2	0.040
582/1	0.162	590/1	0.089	592	0.040	596/2	0.121

अनुविभागीय अधिकारी
घरघोड़ा, जिला रायगढ़

606/1	0.102	620	0.267	628/2	0.031	630/2	0.046
634	0.081	667/1	0.566	672/1	0.109	685/3	0.121
693/1	0.065	695	0.279	720/1	0.352	738/1	0.299
741/2	0.158	791/2	0.142	685/2	0.785	468/2	0.036
477/1	0.064	487/2	0.061	489	0.125	494	0.024
503/1	0.109	526	0.437	572/1	0.533	572/3	0.089
666/1	0.142	619/1	0.105	758/1	0.482	393/1	0.032
395/2	0.101	404/5	0.607	404/6	0.263	404/7	0.526
430/7	0.113	539/1	0.335	764/1	0.930	418	0.210
552	0.721	767	0.340	465/2	0.093	467/2	0.105
471/2	0.275	515/3	0.176	515/4	0.174	480/4d	0.029
531/2	0.700	531/6	0.057	531/7	0.250	616	0.210
630/1d	0.123	630/7	0.129	630/10	0.234	683/1	0.077
683/2	0.247	683/4	0.445	747/3	0.242	747/4	0.999
747/7	0.061	648/3	0.405	684/1	0.299	689	0.405
684/3	0.234	715/1	0.429	795/1	0.182	795/3	0.352
796/1	0.332	533/1	0.340	547/1	0.243	547/11	0.097
547/12	0.494	687/1	0.121	726/1	0.263	515/1	0.177
515/2	0.173	531/5	0.040	580/2	0.215	581/1	0.087
607/4	0.066	607/6	0.038	630/1?k	0.113	630/6	0.093
630/8	0.141	630/9	0.061	632/1	0.045	632/2	0.044
638/1	0.093	683/5	0.223	701/5	0.140	711/3	0.533
736/5	0.075	747/14	0.223	747/15	0.081	401	0.267
412/2	0.184	416	0.656	475/1	0.093	525/9	0.146
525/10	0.101	525/11	0.121	525/12	0.154	546/3	0.093
414	0.575	598	0.279	761	0.162	793/1	0.178
798/1	0.801	799/1	0.340	424	1.084	688/1	0.275
688/2	0.405	430/1	0.085	668/1	0.203	768/2	0.073
768/4	0.121	408	0.182	539/3	0.324	764/3	0.960

अनुविभागीय अधिकारी
घरघोड़ा, जिला रायगढ़

778/2	0.170	792	0.158	422	0.817	425	0.214
426	0.336	428	2.395	499/2	0.121	435/1[k	0.121
476/4	0.056	497/2	0.149	540/3	0.182	540/5	0.117
540/6	0.121	561/4	0.101	566/2	0.092	585/2[k	0.121
585/3	0.085	591/4	0.024	605	0.028	617	0.251
649/3	0.344	649/7	0.025	669/1[k	0.170	718/2	0.134
776	0.287	436/1	0.371	436/2	0.370	492/2	0.073
531/1	0.311	531/4	0.214	529/2	0.242	581/2	0.087
630/1x	0.074	630/3	0.028	630/5	0.253	683/3	0.222
711/2	0.420	711/4	0.331	747/8	0.170	430/9	0.085
668/2	0.202	768/1	0.073	768/3	0.121	554	0.210
612	0.170	676	0.450	696	0.575	782	0.279
404/4	0.263	753/3	0.243	456/7	0.227	498/5	0.073
498/6	0.057	520/2	0.101	456/5	0.121	442	1.250
551	1.343	682	0.559	735	0.833	760	0.295
788	0.983	539	0.332	764/2	0.797	778/1	0.178
508/2d/6	0.040	466/2 p	0.045	508/2d/4	0.071	537/3	0.092
537/4	0.092	556/3	0.178	556/4	0.093	556/9	0.089
770/2	0.118	770/3	0.117	773/4	0.028	773/5	0.029
458/2	0.055	458/3	0.101	500/1	0.199	777/1	0.227
458/4	0.056	458/7	0.101	500/2	0.200	771/2	0.226
458/5	0.056	458/8	0.101	500/3	0.199	771/3	0.227
458/6	0.055	458/9	0.102	500/4	0.200	771/4	0.227
547/5	0.032	547/6	0.081	547/8	0.097	547/10	0.040
411	0.437	542/3	0.101	775/1	0.162	736/3d	0.231
466/2N	0.044	575/2	0.038	624/5	0.061	736/3[k	0.076
670/3	0.169	594/2	0.769	666/3	0.263	476/1	0.053
योगः 908 कुल ख.नं रकबा 179.724 हेक्टेयर							

अनुविभागीय अधिकारी
घरघोड़ा, जिला रायगढ़

उक्त भू–अर्जन प्रस्ताव के साथ मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा अनुमानित मुआवजा राशि रूपये 45,52,58,995–00 एवं सेवा शुल्क की राशि रूपये

2,27,62,950 को भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ के नाम पर जमा कराया गया है। भू–अर्जन प्रस्ताव में कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव महोदय रायगढ़ के अधिसूचना प्रारूप धारा 11 वर्णित प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना प्रकाशन एवं कार्यवाही किये जाने हेतु अधिसूचना प्रारूप तैयार कर कलेक्टर एवं पदेन एवं उप सचिव राजस्व विभाग के हस्ताक्षरोपरांत प्राप्त होने पर प्रकरण में कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किया जाकर धारा 11 की अधिसूचना का निम्नानुसार प्रकाशन कराया गया :–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग –1 में पृ0 क्रं. 1379 दिनांक 18.09.2015
2. दैनिक हिंदी समाचार पत्र नई दुनिया में दिनांक 29.10.2015
3. दैनिक जनकर्म में दिनांक 29.10.2015
4. ग्राम में धारा 11 की अधिसूचना के साथ–साथ पुनर्वास योजना का प्रकाशन मुनादी एवं चस्पा द्वारा ग्राम में दिनांक 08.10.2015 को कराया गया। जिस पर निम्नानुसार आपत्ति प्राप्त हुआ जिसका निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

आपत्ति क्रमांक–1:– धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन उपरांत ग्राम डोलेसरा के हितबद्ध कृषकों द्वारा संयुक्त रूप से आपत्ति पेश कर उल्लेख किया गया है कि भूमि अर्जन के बदले में मुआवजा राशि 50.00 लाख प्रति एकड की दर से भुगतान किया जावे। प्रभावित खातेदारों के परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जावे। ग्राम की समुचित विकास में सहयोग प्रदान किया जावे। सरकारी भूमि का मुआवजा ग्राम पंचायत को दिया जावे। भूमिहीन को रोजगार दिया जावे एवं निस्तारी भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था किया जावे। उपरोक्त 6 मांगों को पूरा किया जाता है तो भूमि अर्जन से कृषकों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

भू–अर्जन की इस कार्यवाही के अंतर्गत भूमि का मुआवजा, रोजगार, सरकारी भूमि का मुआवजा आदि विषयवस्तु का निराकरण भूमि अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व छ0ग0राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति (यथा संशोधित वर्ष, 2007) व शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अंतर्गत किया जाना है। अतः उपरोक्त अधिनियम व पुनर्वास नीति के अंतर्गत मुआवजा निर्धारण व अन्य सुविधाएं नियमानुसार प्रदान की जावेगी। इस प्रकार आपत्ति का निराकरण किया गया।

आपत्ति क्रमांक–2 प्रकरण में ग्राम डोलेसरा के कृषकगण महेशराम पटेल एवं अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत आपत्ति में ग्रामसभा के पारित प्रस्ताव को फर्जी बताते हुए भू–अर्जन की कार्यवाही को निरस्त करने को निवेदन किया गया।

तहसीलदार तमनार से भू–अर्जन के संबंध में उक्त पारित ग्रामसभा का प्रस्ताव का जांच कराया गया। तहसीलदार तमनार द्वारा जांचोपरांत अपने पत्र क्रमांक 730/आर–1/2016 तमनार दिनांक 16.02.2016 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन अनुसार ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई है। इस संबंध में तहसीलदार तमनार द्वारा ग्रामसभा प्रस्ताव में हस्ताक्षरकर्ताओं का साक्ष्य लिया गया, उल्लिखत किया गया है। वस्तुतः छ0ग0शासन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ–11–15/2009/11/6 दिनांक 06.05.2013 के द्वारा गाम डोलेसरा में भू–अर्जन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने पर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। चूंकि ग्राम डोलेसरा तहसील तमनार अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसलिये इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 994/वाचक–1/2015 दिनांक 10.08.2015 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तमनार को ग्रामसभा आयोजित कराकर पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपालन में दिनांक 22.08.2015 को ग्रामसभा आयोजित कराकर ग्रामसभा का अभिमत की सत्यप्रतिलिपि संलग्न कर अपने पत्र क्रमांक 777/ज0प0/ग्रा0स0/2015 तमनार, दिनांक 26.08.2015 द्वारा प्रेषित किया गया। इस प्रकार आपत्ति का निराकरण किया गया।

प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही भूमि अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत पुनर्वास योजना तैयार किया जाकर दिनांक 11.08.2016 को प्रभावित भू–खण्डों का विवरण सहित ग्राम डोलेसरा में प्रकाशन कराया जाकर आपत्ति आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में भूमि अर्जन पुनर्वास तथा

अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ जिला

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अंतर्गत धारा 19 के अंतर्गत घोषणा और सार का प्रकाशन हस्ताक्षर हेतु कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव रायगढ को भेजा गया।

भू–अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुनर्वास योजना तैयार किया जाकर दिनांक 11.08.2016 को ईश्तहार के माध्यम से दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया जिसके पश्चात् धारा 17 एवं 18 पुनर्वास के संबंध में धारा 19 की कार्यवाही विधिसम्मत रूप से की जावेगी। चूंकि धारा 11 के प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर घोषणा एवं सार का प्रकाशन किया जाना अनिवार्य होता है। चूंकि धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 18.09.2015 को किया गया था अतः विहित समयावधि में धारा 19 के अंतर्गत घोषणा एवं सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः चूंकि पुनर्वास योजना की अनुमोदन प्रक्रियाधीन थी, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस अनिवार्य शर्त (भू–अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16, 17 ,18 की विधिसम्मत कार्यवाही) के साथ धारा 19 के अंतर्गत घोषणा एवं सार का प्रकाशन की गई थी, एवं प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार प्रारूप हस्ताक्षर हेतु कलेक्टर रायगढ को सशर्त भेजा गया।

भूमि अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा हस्ताक्षर उपरांत प्राप्त होने पर विधिवत् ग्राम में प्रकाशन कराया गया जो निम्नानुसार है:–

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग –1 में पृ0 क्रं. दिनांक 26.08.2016
2. दैनिक जनकर्म एवं केलोप्रवाह में दिनांक 25.08.2016
3. ग्राम में प्रकाशन दिनांक 21.08.2016

उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन उपरांत दिनांक 30.08.2016 को श्री रमेश अग्रवाल, (गोल्डमेन पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता) सदस्य जनचेतना निवासी सत्यम कुंज नया गंज रायगढ द्वारा अपने पत्र में निम्नांकित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया:–

1– अधिग्रहण के लिये इस प्रकरण में प्रस्तावित भूमि कोल बेरिंग क्षेत्र के गारे–पेलमा सेक्टर–1 के अंतर्गत आता है जिसे पहले मे0छ0ग0मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन को आबंटित किया गया था जिसे बाद में मे0 गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड को आबंटित किया गया।

2– पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त भूमि पर प्रस्तावित एस–डाईक हेतु अपनी स्वीकृति नहीं दी गई है जिसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक इंन्डस्ट्रीयल एरिया डवलपमेंट बोर्ड बनाम केनचप्पा (2006) एस सी सी 3071 दिनांक 12.05.2006 के प्रकरा में यह निर्णयदिया गया है कि "विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के पूर्व इस विकास के पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों का समग्र मूल्यांकन किया जावे।" अतः उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में कलेक्टर महोदय रायगढ को निम्नांकित बिन्दु निर्धारित कर मार्गदर्शन हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया जो इस प्रकार है:–

1. क्या अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि कोल बेरिंग क्षेत्र के अंतर्गत है ? और यदि हां तो उक्त भूमि के कोयला धारक क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित होने के बाद क्या उसका अधिग्रहण विधि के अनुरूप है ?
2. क्या एस–डाईक निर्माण के लिए उक्त भूमि का अधिग्रहण करने के पूर्व पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से अनुमति नहीं लिया जाना चाहिये ?
3. माननीय सुप्रिम कोर्ट के निर्देशानुसार क्या उक्त भूमि पर प्रस्तावित एस–डाईक परियोजना के पूर्व पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किया जाना आवश्यक नहीं है ?

अनुविभागीय अधिका
घरघोड़ा, जिला

उपरोक्त बिन्दु 1, 2 एवं 3 के संबंध में यदि अधिग्रहण की प्रकिया अनुचित प्रतीत हो तो क्या अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त कर दिया जावे ? यदि कलेक्टर रायगढ द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में अधिग्रहण को अनुचित माना जाता है तो अधिग्रहण की समस्त प्रकिया को निरस्त माना जावेगा। प्रकरण में अधिग्रहण की कोई भी आगे कार्यवाही कलेक्टर रायगढ द्वारा कराई गई जांच व मार्गदर्शन के बाद ही की जावेगी।

कलेक्टर महोदय रायगढ से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसमें बिन्दुवार मार्गदर्शन निम्नानुसार है:–

1. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि कुल रकबा 179.724 हे0 वर्तमान आबंटिती मे0 गुजरात इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन निमिटेड (पूर्व आबंटिती छ0ग0मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन) कारपोरेशन द्वारा खनिज कोयले के खनि पट्टा हेतु आवेदित कुल रकबा 6318.283 हे0 क्षेत्र (जिसमें ग्राम डोलेसरा 38.752 हे0 क्षेत्र शामिल है) के अंतर्गत नहीं आता है।
2. पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि पर स्वीकृति के संबंध मेंउल्लेख किया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2008 के अनुसार परियोजना प्रबंधक द्वारा भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय कोई सन्निर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है।
3. भू–अर्जन अधिग्रहण की कार्यवाही उद्योग विभाग के पक्ष में की जा रही है फलस्वरूप किसी भी निर्माण के पूर्व आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराना एवं पालन कराना उद्योग विभाग का दायित्व होगा।

इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन अनुसार प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त मार्गदर्शन उपरांत आपत्ति पर कार्यवाही इस स्तर पर निराकरण हेतु लंबित नहीं है।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 817/आर–1/2017 दिनांक 01.05.2017 के द्वारा कलेक्टर महोदय को मार्गदर्शन हेतु लिखा गया कि पुनर्वास योजना की धारा 16, 17, 18 की कार्यवाही आवेदक विभाग से अपेक्षित होने के कारण क्या भू–अर्जन की कार्यवाही में धारा 21 के तहत कार्यवाही किये जाने के परिप्रेक्ष्य में क्या धारा 16, 17, 18 एवं 21 के तहत पृथक –2 कार्यवाही की जा सकती है ? अथवा चरणबद्ध रूप से धारा 16, 17, 18 की कार्यवाही के उपरांत ही धारा 21 के तहत कार्यवाही किया जावे ? इसके अतिरिक्त भूअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में धारा 21 की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्देश है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जावे। उक्त परिप्रेक्ष्य में कलेक्र महोदय रायगढ के पत्र क्रमांक 5436/भू–अर्जन/2017 दिनांक 24.06.2017 के द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुविभाग के पुनर्वास प्रशासक के हैसियत से पुनर्वास योजना हेतु आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा पुनर्वास योजना को पुनर्वास आयुक्त/संभागायुक्त महोदय बिलासपुर की ओर अनुमोदन हेतु कार्यवाही करें। निजी भूमि अधिग्रहण के प्रकरण में पृथक से अग्रेत्तर कार्यवाही में धारा 21 के तहत व्यक्तिशः सुनवाई एवं अन्य आगामी कार्यवाही समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करें।

मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत पुनर्वास नीति में हस्ताक्षर नहीं होने के फलस्वरूप हस्ताक्षरयुक्त पुनर्वास योजना भेजने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 14.06.2017 को लिखा गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 19.06.2017 को प्रस्तावित पुनर्वास योजना प्राप्त हुआ। परंतु प्राप्त पुनर्वास योजना के क्रमांक 2 परिभाषाऐं के तहत कंडिका (ज) में बी0पी0एल0 परिवार, (झ) में आयुक्त तथा (ञ) में डी0डी0पी0 ब्लाक का उल्लेख है जो भू–अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से संबंधित नहीं होने से उक्त कंडिकाओं को विलोपित करते हुये पुनः पुनर्वास योजना की संशोधित प्रति भिजवाने हेतु पत्र क्र0 वाचक–1/2017/349 दिनंक 22.06.2017 को मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ को पत्र जारी किया किया। उक्त पुनर्वास योजना की 5 प्रति आयुक्त महोदय के अनुमोदन हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 03.07.2017 को कलेक्टर महोदया के माध्यम प्रेषित किया गया जो कि अनुमोदन पश्चात् कलेक्टर रायगढ के पत्र क्रमांक 65131/भू–अर्जन/2017 दिनांक 27.07.2017 के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ।

तत्संबंध में निर्देशानुसार धारा 21 के तहत व्यक्तिशः सुनवाई हेतु प्रभावित कृषकों को 02.08.2017 को सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त दिनांक 02.08.2017 को प्रभावितों कृषकों से 189 आपत्ति प्राप्त हुआ जिसका निराकरण तत्काल किये जाने हेतु आपत्ति तहसीलदार तमनार

अनुविभागीय अधिकारी
धरमजयगढ़, जिला रायगढ़

को कार्यालयीन पत्र क्रमांक क/वाचक–1/2017 दिनांक 05.08.2017 के द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त आपत्ति का निराकरण पश्चात् तहसीलदार तमनार द्वारा प्रतिवेदन उनके पत्र क्रमांक आर–1/2017/341 दिनांक 21 अगस्त, 2017 को प्रस्तुत किया गया। जो कि निम्नानुसार निराकरण किया गया:–

1– आपत्तिकर्ता/ आवेदक

श्री मनबोध पटेल आ0 श्री जीवर्धन पटेल,श्री जीवर्धन कुमार पटेल एवं जयराम पटेल आ0 कलिंदर पटेल, श्री जीवनलाल पटेल आ0 पीलादाउ पटेल, श्री नारायण आ0 आनंदराम, श्री सनातन पटेल आ0 आत्माराम पटेल, श्री हृषिकेश आ0 पंचराम, श्रीगांधीराम पटनायक आ0 फकीरो पटनायक, श्री गुलाब सिंह आ0 बालकराम, श्री अमृतलाल आ0 दशरु, श्री मेघनाथ पैंकरा आ0 मंगल पैकरा, श्री बोधराम आ0 गणेश राम गुप्ता, श्री धनसाय आ0 बुधूराम, श्री महादेव आ0 जयराम, श्री रामचरण आ0 गंगाराम, श्री करमसिंह तिग्गा आ0 जयकुमार तिग्गा, श्री सुकमेत, श्री टेंगनू आ0 गोलेनाथ, श्री सुकमेत पिता बुधू, श्री रामप्रसाद आ0 अनंतराम, श्री सुकुनराम, श्री श्री टेंगनू आ0 गोलेनाथ, श्री रामप्रसाद, श्री भानुप्रताप आ0 चंद्रमणी, प्रेमकुमारी पति लोकेश्वर, श्री लुकेश्वर आ0 शिवप्रसाद, श्री जगतराम पटनायक आ0 फकीरो पटनायक, श्री राजेंद्र प्रसाद आ0 गोलेनाथ, श्री ऋषिकेश आ0 पंचराम, श्री सुकलाल आ0 धोनी भगत, श्री अमित पटनायक आ0 डमरुधर पटनायक, श्री भवानीशंकर आ0 महेंद्रनाथ, श्री क्रेशव आ0 महेंद्रनाथ, श्री अनुज पटनायक आ0 डमरुधर पटनायक, श्री बुडुराम आ0 लगनसाय, श्री इंद्रपाल प्रधान आ0 बालमुकुंद, रामदुलारी पटेल पति श्री अश्वनी कुमार पटेल, श्री रुपचंद एवं श्री सत्यानंद पटेल आ0 श्री अश्वनी कुमार पटेल, श्री संतराम पैकरा आ0 नान्हीराम, श्री मंगलसिंह आ0 भिखारी, श्री पदमन आ0 आनंदराम, दुतीबाई पति मेहत्तर, श्री भागीरथी पैंकरा आ0 गांडाराय, सुकमेत, रतनसाय भगत आ0 चैतराम भगत, श्री करमू आ0 ननकू, श्री सैदुन खान, श्री गंगाराम आ0 ढोरी, श्री जयसिंह आ0 चैतराम पैकरा, श्री घसनीन वे. सुनूराम, श्री बीरेंद्र आ0 गजानंद, सुंदरमती आ0 सनुराम, श्री सुरेंद्र साहु आ0 गजानंद साहु, श्री टीकाराम पटेल आ0 भुवनेश्वर, संजय पटेल आ0 टीकाराम, साधुराम आ0 मनराखन, श्री वासुदेव आ0 विष्णु , राधेश्याम आ0 विष्णु, श्री अश्विनी एवं खीरसागर आ0 रोहित कुमार गुप्ता, श्री बिहारीलाल आ0 बालमुकुंद, श्री राधेश्याम आ0 विष्णु, श्री रामप्रसाद आ0 बोलोराम, श्री छविशंकर आ0 सहदेव, श्री रामप्रसाद एवं परसुराम आ0 बोलोराम, श्री सुनाउराम आ0 कार्तिकराम, सनकुंवर वे. बरतराम एवं लक्ष्मीप्रसाद आ0 देवचरण, श्री छत्तरसाय आ0 सदाराम पटेल, श्री महिंगल आ0 छत्तरसाय पटेल, श्री हीरालाल एवं प्यारेलाल आ0 बल्दू, रुकमणी वे. तिलकराम, श्री महिंगल आ0 छत्तरसाय पटेल, रुकमणी वे. तिलकराम पैंकरा, श्री केशव आ0 कार्तिकराम सिदार, श्री हेमकुमार पटेल आ0 आशाराम पटेल, श्री गोवर्धन पटेल आ0 ओसराम, धनमति पटेल पति गोवर्धन पटेल, श्री महेशराम पटेल आ0 गोवर्धन पटेल, श्री कमलेश साहू आ0 खगेश्वर, श्री खगेश्वा आ0 गंगाराम साहू, लक्ष्मी/ रक्षापाल, श्री हरेकृष्ण पटेल आ0 अमृतलाल पटेल, श्री फागूलाल आ0 मुनूराम पटनायक, श्री मधुसुदन एवं अश्विनी आ0 निलाम्बर, श्री निलाम्बर आ0 सदाराम पटेल, श्री अविनाश आ0 सुशील पटनायक, भानुमती वे. डमरुधर, श्री कांशीप्रसाद पटेल आ0 दिनबंधु पटेल, श्री टीकाराम पटेल आ0 नित्यानंद पटेल, श्री भरतलाल पटेल आ0 लक्ष्मीप्रसाद, श्री लक्ष्मीप्रसाद आ0 सालिकराम, श्री अशोक कुमार पटेल आ0 सुंदरलाल, श्री नवरतन पटेल आ0 अशोक कुमार पटेल, यशोदा पटेल पति अशोक कुमार, श्री अशोक कुमार पटेल आ0 सुंदरलाल, श्री पोतराम पटेल आ0 पदुमलाल, श्री पदुमलाल पटेल आ0 मुकुतराम, श्री रामेश्वर आ0 मयाराम पटेल, श्री शंभूराम पटेल आ0 जलिंधर पटेल, साहेबराम, तेजराम एवं महेशराम पटेल आ0 भुवनेश्वर पटेल, श्री उसियार आ0 दौलतराम, श्री अमृतलाल आ0 दौलतराम, श्री कन्हैयालाल पटेल आ0 ओसराम, श्री डिंग्रीलाल आ0 सादराम राठिया, श्री सादराम राठिया आ0 घांसीराम, श्री गणपति पटेल आ0 काशीप्रसाद पटेल, चंचला पटेल पति कन्हैयालाल पटेल, श्री अर्जुन प्रसाद आ0 दिनबंधु पटेल, श्री जोगीन्दर पटनायक आ0 नित्यानंद पटनायक, श्री बंशीधर पटेल आ0 जयलाल, श्री अनिल कुमार पटेल आ0 बंशीधर पटेल, श्रीमती बहारतीन आ0 सनुराम, बालमुकुंद आ0 गनेशराम, श्री माधवप्रसाद पटेल आ0 उजितराम, श्री कन्हैयालाल आ0 माधव प्रसाद पटेल, श्री मनमोहन पटेल आ0 बरतराम पटेल, श्री बरतराम पटेल आ0 बीरसिंह,अन्नपूर्णा पति विजयलाल, श्री रामप्रसाद आ0 विजय लाल पटेल, चंद्रकांति पटेल पति हेमराम, श्री हेमराम आ0 चैतन प्रसाद पटेल, श्री गजानंद पटेल आ0 बरतराम पटेल, श्री नंदरमा पटेल आ0 वीरसिंह पटेल, श्री टेकलाल पटेल श्री अमृतलाल पटेल, श्री धनुर्जय यादव आ0 दुबराज, राधिका वे. लक्ष्मीप्रसाद, श्री अर्जुन पैंकरा आ0 लुलाराम, श्री उग्रसेन यादव आ0 दुबराज, श्री भागीरथी सिदार आ0 देवान सिदार, श्री अमरसिंह पैंकरा आ0 बुडगा, श्री टीकाराम पटेल आ0 रुपसिंह, श्री मेहत्तर पैंकरा आ0 समारु, अशोक पटेल निवासी ग्राम डोलेसरा तहसील तमनार द्वारा दिनांक 02/08/2017 के अनुसार तहसीलदार तमनार को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। तहसीलदार

अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ा, जिला रा

तमनार द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार 132 प्रभावितों का आपत्ति का बिन्दु समान होने के फलस्वरूप निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आपत्ति क्र0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	यह कि पूर्व में उठाई गयी गंभीर आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ है।	बिंदु क्र0 1 के संबंध में लेख है कि आपके न्यायालय का रा0प्र0क्र.0 18/अ–82/14–15 आदेश पत्रिका दिनांक 11/08/2016 के अनुसार प्रभावित कृषकों द्वारा दी गई आपत्तियों का भू–अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार किया गया ।
2	यह अनुसूचित क्षेत्र है, यहां ग्राम सभा ने विरोध किया है परंतु कम्पनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी प्रस्ताव पेश किया है।	बिंदु क्र0 2 के संबंध में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्र0 730/आर–1/2016 तमनार दिनांक 16/02/2016 के अनुसार पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत डोलेसरा द्वारा पारित ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 22/08/2015 का जांच किया जाकर जांच रिपोर्ट आपकी ओर प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव सही होना पाया गया। पूर्व में प्रेषित पत्र की छाया प्रति पृथक से संलग्न है।
3	यह जमीन विशाल 400 एकड के ऐश डाइक के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके बहुत गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव होगें परन्तु यहां कोई जन सुनवाई नहीं की गयी है, और न ही ऐश डाइक को पर्यावरण स्वीकृति मिली है।	बिंदु क्र0 3 में आवेदित भूमि के संबंध में कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ के पत्र क्र0 जिव्याउके–रा/भू–अर्जन/2016/264 रायगढ दिनांक 28/01/2017 में उल्लेखित है कि विशेष सचिव छ0ग0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र0 11/15/2009/11/6 दिनांक 06/05/2013 द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया गया है इस पत्र में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विभाग रायगढ. को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित किया गया ।
4	यह ऐश डाइक जिंदल कंपनी की विस्तार योजना हेतु है पर उक्त विस्तार योजना के लिए कोयला आदि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।	कार्यालय कलेक्टर, रायगढ के पत्र क्रमांक 931/भू–अर्जन/2017 रायगढ दिनांक 1.02.2017 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही उद्योग विभाग के पक्ष में की जा रही है फलस्वरूप किसी भी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण एवं पालन करना उद्योग विभाग का दायित्व होगा।
5	यह जमीन कोयला धारक है फिर भी कोयला धारक ना होने का फर्जी रिपोर्ट दी गयी है, यहां कोई स्थायी निर्माण प्रतिबंधित है।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ के पत्र क्रमांक 3394/ख0नि0–2/2016 रायगढ दिनांक 22.09.2016 के अनुसार आवेदित भूमि कोल ब्लाक गारे–पेलमा सेक्टर–2 वर्तमान आबंटिती मे0 गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व आबंटिती सी0एम0डी0सी0) द्वारा खनिज कोयले के खनि पट्टा हेतु आवेदित कुल रकबा 6318.283 हे0 क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तहसीलदार द्वारा जांच पश्चात् आवेदित भूमि का मिलान गारे सेक्टर 1 एवं गारे सेक्टर 2 से मिलान करने पर खसरे 687/3 से, 690से, 687/2, 686/3, 691से, 692/1 से, 667/2 से, 667/1 से, 666/1, 687/1, 688/2 से एवं 696 रकबा क्रमशः 0.164, 0.377, 0.194, 0.101, 0.316, 0.019, 0.085, 0.085, 0.142, 0.121, 0.182 एवं 0.575 कुल रकबा 2.361 हे. उक्त सेक्टर में सम्मिलित पाया गया जिसे आवेदित भूमि से विलोपित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ जिला रायगढ

6	इस अधिग्रहण के लिए सामाजिक अपघात आंकलन नहीं किया गया है, यह शासन की एक अधिसूचना के दुरुपयोग से किया गया है, जिसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। इस प्रकरण में हमारे पक्ष में अंतरिम राहत भी दी गयी है।	आपत्ति में उल्लेखित कंडिका क0 6 के संबंध में कलेक्टर महो. रायगढ के पत्र क0 9309/भू–अर्जन/2016 रायगढ दिनांक 24.10.2016 में उल्लेखित है कि भू–अर्जन एवं पुनर्वास के संबंध में सचिव छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क0 4–26/सात–1/2014 दिनांक 9 मार्च 2015 द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं 3 लागू नहीं रहने संबंधी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के तारतम्य में नियमानुसार धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन कराया गया है।

आपत्तिकर्ता/आवेदक श्री असफ मिंज आ0 विश्राम, श्रीमती प्रतिमा पटनायक पति मकरध्वज पटनायक, नैमन कुमार मिंज पित विश्राम, टिकेश्वर बेहरा पिता कार्तिकेश्वर बेहरा, मनोज कुमार आ0 फलिकार्प, मुकुटदान कुजूर आ0 पोलिकार्प द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दु समान होने के फलस्वरूप निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आपत्ति क0	आपत्ति कर्ता का नाम	खसरा नं	रकबा	रजिस्ट्री दिनांक	नामांतरण कमांक एवं दिनांक	आपत्ति का निराकरण
1	श्री असफ मिंज आ0 विश्राम,	764/2	0.797	05-03-2015	नामांतरण कमांक 17 दिनांक 20.07.2015	चुकि आपत्ति कर्ता की भूमि का कय दिनांक धारा 11 के प्रकाशन के पूर्व हुआ है अतः आपत्ति कर्ता का नाम मुआवजा पत्रक में जोडना उचित प्रतीत होता है।
2	श्रीमती प्रतिमा पटनायक पति मकरध्वज पटनायक,	537/1	0.092	04-04-2014	नामांतरण कमांक 37 दिनांक 15.08.2014	चुकि आपत्ति कर्ता की भूमि का कय दिनांक धारा 11 के प्रकाशन के पूर्व हुआ है अतः आपत्ति कर्ता का नाम मुआवजा पत्रक में जोडना उचित प्रतीत होता है।
3	नैमन कुमार मिंज पित विश्राम,	686/3	0.101	14-10-2015	नामांतरण कमांक 05 दिनांक 25.10.2015	चुकि आपत्ति कर्ता की भूमि का कय दिनांक धारा 11 के प्रकाशन के पश्चात हुआ है अतः आपत्ति कर्ता का नाम मुआवजा पत्रक में न जोडकर तथा नामांकन रदद करने की कार्यवाही करना उचित प्रतीत होता है।
		686/6	0.162	24-09-2015	नामांतरण कमांक 04 दिनांक 25.10.2016	
		686/4	0.101			
4	टिकेश्वर बेहरा पिता कार्तिकेश्वर बेहरा,	556/5	0.085	14-10-2015	नामांतरण कमांक 1 दिनांक 12.03.2016	चुकि आपत्ति कर्ता की भूमि का कय दिनांक धारा 11 के प्रकाशन के पश्चात हुआ है अतः आपत्ति कर्ता का नाम मुआवजा पत्रक में न जोडकर तथा नामांकन रदद करने की कार्यवाही करना उचित प्रतीत होता है।
		556/7	0.035			
5	मनोज कुमार आ0 फलिकार्प,	451/2 ख	0.188	16.10.2015	नामांतरण कमांक 2 दिनांक	चुकि आपत्ति कर्ता की भूमि का कय दिनांक धारा 11 के प्रकाशन के पश्चात
		429/2	0.024			

अधिकारी

		ख			25.10.2015	हुआ है अतः आपत्ति कर्ता का नाम मुआवजा पत्रक में न जोडकर तथा नामांकन रदद करने की कार्यवाही करना उचित प्रतीत होता है।
		521/2 ख	0.052			
		739	0.024			
		740	0.316			
		748/2	0.093			
		763/2ख	0.040			
		769/2	0.020			
6	मुकुटदान कुजूर आ0 पोलिकार्प	539/2	0.332	07.10.2015	नामांतरण कमांक 3 दिनांक 25.10.2015	चुकि आपत्ति कर्ता की भूमि का कय दिनांक धारा 11 के प्रकाशन के पश्चात हुआ है अतः आपत्ति कर्ता का नाम मुआवजा पत्रक में न जोडकर तथा नामांकन रदद करने की कार्यवाही करना उचित प्रतीत होता है।

आपत्तिकर्ता/आवेदक 1– श्री अर्जुन पटनायक आ0 नित्यानंद पटनायक, 2–श्री धर्मसिंह पिता रामकुमार, 3–श्री धर्मसिंह पिता रामकुमार, 4–जोगिन्दर पटनायक आ0 नित्यानंद पटनायक, 5–श्री रामप्रसाद पटेल पिता विजय लाल, 6–अन्नपूर्णा पति विजयलाल पटेल, 7–घनश्याम, तुलसी पिता सुग्रीव निषाद वगै., 8–बाबूलाल प्रधान पिता संतराम, 9–पीसकुमारी पति परमेश्वर साहू, 10–श्री परमेश्वर साहू आ0 पदुमलाल, 11–श्री हिमांशु साहू आ0 रामेश्वर, 12–श्री देवनाथ साहू आ0 रामेश्वर, 13–श्री रामप्रसाद पैंकरा आ0 बुढा, 14–रतिदेव आ0 घासीकर, 15–श्री प्यारे लाल आ0 बालमुकुंद, 16–श्री संतराम आ0 गणेशराम, 17–श्री सरधाराम पिता मुनुदारु वगै. , 18–श्री सरधाराम पिता मुनुदारु वगै. , 19–तुलाराम पैंकरा आ0 प्रेमसिंह, 20–तुलाराम पैंकरा आ0 प्रेमसिंह, 21–कमला पिता प्रेमसिंह, 22–जगनी बाई बे. नान्हीराम, 23–श्री रघुनाथ आ0 दफेदार वगै., 24–ललितकुंवर पति चंदराम, 25–श्री लखनलाल आ0 राजाराम, 26–श्री चंदराम आ0 बीरसिंह एवं 27–श्री पीताम्बर पटेल आ0 चंदराम पटेल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दु समान होने से उनका निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आपत्ति क0	आपत्ति का विवरण	आपत्ति का निराकरण
1	यह कि हमारी जमीन औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत की जा रही है वह उच्च किस्म की उपजाउ है।	आपत्तिकर्ताओं की भूमि का मौका जांच कर भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया।
2	हमारे ग्राम में दो भव्य आपसी तालाब व नाले है जिसका पानी हमारी जमीन से होकर गुजरता है। जिससे नियमित रुप से सिंचाई का कार्य किया जाता है। उक्त दोनो तालाबों व नाले की वजह से हमारी प्रभावित उपजाउ जमीनें पूर्ण रुपेण सिंचित बनी हुइ है। मौके पर क्षेत्र का जांच कर पुष्टि किया जा सकता है। उक्त भू–अर्जन से प्रभावित होने वाली उपजाउ जमीनों की कीमत जमीनों की गुणवत्ता एवं उच्च किस्म को ध्यान में रखते हुये प्रति एकड की दर से 5000000/– रुपये (पचास लाख) की मांग करते है। एवं अन्य सुविधएं जो शासन न सुनिश्चित किया हुआ है वो सभी मुहैया कराया जावे।	भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया।

आपत्तिकर्ता/आवेदक श्री माणिकचंद्र आ0 गोकुल प्रसाद, रुकमणी देवी पति माणिकचंद्र, प्रिंसराज, महादेवराज आ0 माणिकचंद्र एवं रुकमणी देवी पति माणिकचंद्र, श्री महेंद्रनाथ एवं डमरुधर आ0 प्रेमानंद, श्री माणिकचंद्र आ0 गोकुल प्रसाद द्वारा आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है–

आपत्ति क्र0	आपत्ति का विवरण	आपत्ति का निराकरण
1	आवेदक श्री माणिकचंद्र आ0 गोकुल प्रसाद, रुकमणी देवी पति माणिकचंद्र, प्रिंसराज, महादेवराज आ0 माणिकचंद्र एवं रुकमणी देवी पति माणिकचंद्र, श्री महेंद्रनाथ एवं डमरुधर आ0 प्रेमानंद, श्री माणिकचंद्र आ0 गोकुल प्रसाद द्वारा वृक्षों की संख्यां के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है।	पटवारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की भूमि का मौका जांच कर वृक्षों की गणना की गई और भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार वृक्षों का मुआवजा निर्धारित किया जावेगा।

आवेदक सावित्री पिता नित्यानंद,श्री सुरेश कुमार आ0 बंशीधर, श्री दुर्योधन पटेल आ0 जयलाल, श्री द्रुपत आ0 रघुनाथ, श्री देवानंद आ0 रामचंद्र,टेकलाल पटेल आ0 अमृतलाल एवं हरेकृष्ण पटेल आ0 अमृतलाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

आपत्ति क्र0	आपत्ति का विवरण	आपत्ति का निराकरण
1	भूमि का मुआवजा बाबत	आपत्तिकर्ताओं की भूमि का मौका जांच कर भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि, वृक्षों, मकान, कुआं एवं पंप हाउस आदि का मुआवजा निर्धारित किया जावेगा तथा रोजगार के संबंध में अनुमोदित पुनर्वास योजना के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
2	वृक्षों की संख्या तथा मुआवजा बाबत	
3	जिंदल कम्पनी में नौकरी दिये जाने बाबत	
4	भू अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन के अधिकार का सम्पूर्ण लाभ बाबत	
5	मकान, कुंआ एवं पंप हाउस आदि के मुआवजा बाबत	

आवेदक देवानंद आ0 रामचंद्र, फागुलाल आ0 मुनु, सुरेश कुमार आ0 बंशीधर एवं लुकेश्वर आ0 शिवप्रसाद द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया:–

आपत्ति क0	आपत्ति कर्ता का नाम	खसरा नं	रकबा	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	देवानंद आ0 रामचंद्र	800/1	0.077	शामिल खाते मे नाम दर्ज करने बाबत	राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरुस्ती कर मुआवजा पत्रक में जोड दिया गया है।
2	फागुलाल आ0 मुनु	553	0.057	शामिल खाते मे नाम में संशोधन करने बाबत	राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरुस्ती कर मुआवजा पत्रक में जोड दिया गया है।
		558	0.198		
		784	0.138		
3	सुरेश कुमार आ0 बंशीधर	694/2	0.191	जाति में संशोधन बाबत	राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरुस्ती कर मुआवजा पत्रक में जोड दिया गया है।
4	लुकेश्वर आ0 शिवप्रसाद	743/1	0.180	रकबे में संशोधन बाबत	राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरुस्ती कर मुआवजा पत्रक में जोड दिया गया है।
		843/1	0.279		

अनुविभागीय अधिकारी (रा
महासमुंद, जिला रायगढ़

आवेदक सतीश चंद्र बेहरा आ0 नित्यानंद बेहरा की आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया:–

आपत्ति क0	आपत्ति कर्ता का नाम	खसरा नं	रकबा	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	सतीश चंद्र बेहरा आ0 नित्यानंद बेहरा	403/1ख	0.809	उक्त भूमि को मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि के तहत मूल्यांकित करने बाबत।	पटवारी द्वारा मौका जांच किया गया और पक्की सडक पर उक्त भूमि को पाया गया अतः मुआवजा पत्रक में संशोधन किया गया।

आपत्तिकर्ता/आवेदक जगदीश्वर आ0 परमेश्वर की आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

आपत्ति क0	आपत्ति कर्ता का नाम	खसरा नं	रकबा	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	जगदीश्वर आ0 परमेश्वर	341/3& 361/3	0.032	उक्त भूमि को भू अर्जन से कैंसिल करने बाबत।	उक्त भूमि आवेदित भू अर्जन में सम्मिलित नहीं होने से आपत्ति निरस्त किया गया।

आवेदक बुडूराम आ0 लगनसाय की आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

आपत्ति क0	आपत्ति कर्ता का नाम	खसरा नं	रकबा	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	बुडूराम आ0 लगनसाय	481	0.097	उक्त भूमि को भू अर्जन से निरस्त करने बाबत।	आवेदित भूमि के संबंध में कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ के पत्र क0 जिव्याउके–रा/भू–अर्जन/2016/264 रायगढ़ दिनांक 28/01/2017 में उल्लेखित है कि विशेष सचिव छ0ग0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क0 11/15/2009/11/6 दिनांक 06/05/2013 द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया गया है इस पत्र में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विभाग रायगढ. को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त भूमि पर स्थित मकान हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जावेगा। इस प्रकार भू–अर्जन प्रकरण निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं होने से आपत्ति निरस्त किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सारंगढ़, जिला रायगढ़

भूमि–अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 में अपने हित, अधिकारी, मुआवजा राशि, भूमि का अधिकार फलस्वरूप मुआवजे के हित संबंधी दावे तथा भूमि के परिमाप/नस्ती संबंधी आपत्ति की जा सकती है। तदनुसार आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार किया गया है।

प्रकरण में जांच के दौरान तहसीलदार तमनार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण के आवेदित भूमि में से खसरा कमांक 376, 518, 545, 627, 646 एवं 759 रकबा कमशः 0.498, 0.874, 0.932, 0.166, 0.065 एवं 0.441 कुल रकबा 2.976 हें भूमि नारायण पिता आनंदराम एवं बहारतीन बेवा आनंदराम के नाम से धारित थी जो कि धारा 11 एवं 19 के प्रकाशन के समय आवेदित भूमि में शामिल थी जो कि मूल रिकार्ड से मिलान करने पर सेवा भूमि के रुप में दर्ज पाई गई हैं अतः उक्त खसरों का अवार्ड पत्रक से विलोपित किया गया परंतु प्रभावित व्यक्ति अनुमोदित पुनर्वास योजना के तहत पुनर्वास का नियमानुसार पात्रता होगा।

इसी प्रकार आवेदक कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ द्वारा प्रकरण में उल्लिखित आवेदित भूमि का मिलान गारे–पेलमा सेक्टर 1 एवं गारे–पेलमा सेक्टर 2 द्वारा आवेदित भूमि का मिलान करने पर खसरा नंबर 687/3 से, 690 से, 687/2, 686/3, 691से, 692/1 से, 667/2 से, 667/1 से, 666/1, 687/1, 688/2 से एवं 696 रकबा कमशः 0.164, 0.377, 0.194, 0.101, 0.316, 0.019, 0.085, 0.085, 0.142, 0.121, 0.182 एवं 0.575 कुल रकबा 2.361 हे0 भूमि सेक्टर–1 में सम्मिलित होना पाया गया जिसे इस प्रकरण के आवेदित भूमि से विलोपित किया गया। उक्त निजी भूमि कुल खसरा नंबर 12 कुल रकबा 2.361 हे0 को अवार्ड पत्रक से पृथक किया गया। पृथक किये जा रहे उक्त भूमि को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 93 में वर्णित प्रावधानों के तहत मुक्त किये जाने हेतु अधिसूचना प्रारूप तैयार कर पृथक से हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में धारा 21 की सुनवाई में प्राप्त आपत्ति की जांच कराया जाकर आपत्ति का निराकरण किया गया। तदोपरांत प्रकरण में आगामी कार्यवाही अवार्ड प्रतिवेदन हेतु उप पंजीयक घरघोड़ा से क्रेन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित गाईड लाईन 2015–16 के आधार पर भूमि व भूमि में स्थित संपत्तियों की मुआवजा पत्रक तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़, तहसीलदार तमनार, राजस्व निरीक्षक तमनार व हल्का पटवारी तमनार तथा वन विभाग के उपवनमंडलाधिकारी व वन परिक्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया गया। उनसे भूमि एवं भूमि पर स्थित वृक्षों की मुआवजा राशि निर्धारण पत्रक जो गाईड लाईन दर वर्ष 2015–16 के अनुसार निम्नानुसार किया गया है, विवरण निम्नानुसार है –

1. सिंचित भूमि– 3.927 हे0
2. असिंचित भूमि – 170.171 हे0
3. बहला भूमि प्रति हे0 – 2463000–00 रू.
4. खार एक फसली प्रति हे0– 1568000–00 रू.
5. टिकरा एक फसली प्रति हे0– 1568000–00 रू.

प्रकरण में अर्जित की जा रही निजी भूमि का मुआवजा निर्धारण केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के वर्ष 2015–16 में अनुमोदित गाईड लाइन दर को मुआवजा निर्धारण हेतु उचित मान्य किया गया क्योकि गाईड लाईन दर अनुसार भूमि की कय–विकय होने पर शासन को मुद्रांक शुल्क प्राप्त होता है। अतएव यही दर मुआवजा निर्धारण हेतु उचित दर माना गया। जिसके अनुसार भूमि की किस्म के अनुसार वर्ष 2015–16 के गाईड लाईन दर प्रति हेक्टेयर की मान से गणना की गई जो निम्नानुसार है :–

क्र0	किस्म	रकबा हे0में	दर प्रति हे0/प्रति वर्गमीटर	मूल्य
1	असिंचित भूमि	162.740	1568000.00	255176320.00
2	सिंचित भूमि (दो फसली)	3.927	3078750.00	12090251.00
3	असिंचित भूमि (पक्की सड़क से लगी हुई)	7.431	2930000.00	21772830.00
	योगः–	**174.098**	–	**289039401.00**

अर्जित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

1. अर्जित भूमि का बजार मूल्य – 289039401.00
2. अर्जित भूमि के बजार मूल्य – का 100 प्रतिशत सोलेशियम– 289039401.00
3. अर्जित की जा रही भूमि के बाजार मूल्य – का 12 प्रतिशत ब्याज राशि (24 माह का) 69369456.00
4. अर्जित भूमि की कुल मुआवजा राशि :– 647448258.00

अधिग्रहित भूमि में स्थित वृक्षों की मुआवजा की गणना गाईड लाइन दर वर्ष 2015–16 के अनुसार की जा रही है भूमि पर स्थित वृक्षों की संख्या एवं मुआवजा राशि का विवरण (गणना पत्रक भाग–1ग के अनुसार है जो अवार्ड प्रतिवेदन के साथ संलग्न है) :–

1	वृक्ष का मुआवजा राशि रूपये	3782966.00
2	वृक्षों का बाजार मूल्य 100 प्रतिशत सालेशियम	3782966.00
3	प्रभावित वृक्षों का बजार मूल्य का 12 प्रतिशत ब्याज की राशि कुल माह 24 (माह)	907912.00
	योग	**8473844.00**
1	परिसंपत्ति का मुआवजा राशि	10123491.00
2	परिसंपत्ति का मूल्य 100 प्रतिशत सोलेसियम	10123491.00
3	परिसंपत्ति का बाजार मूल्य का 12 प्रतिशत ब्याज की राशि (24 माह का)	2429638.00
	योगः–	**22676620.00**
(अ)	भूमि का कुल मुआवजा –	647448258.00
(ब)	भूमि पर स्थित वृक्षों की मुआवजा राशि –	8473844.00
(स)	नलकुप/कुओं/तलाब/मकान का मुआवजा राशि	22676620.00
	सकल मुआवजा राशि	**67,85,98,722.00**

सकल मुआवजा राशि 678598722.00 (सरसठ करोड पचासी लाख अन्ठानबे हजार सात सौ बाईस रूपये मात्र) परिगणित किया जाता है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण के मामलों में अवार्ड में निम्नानुसार शर्त समाहित किये जाने हेतु सचिव छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पत्र कमांक एफ–11–28/2011/11/6 रायपुर दिनांक 6 अप्रैल 2012 में निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिसे प्रश्नाधीन प्रकरण में शामिल किया जाता है एवं इसका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, विवरण निम्नानुसार है –

1. भूमि का आधिपत्य के पूर्व कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना होगा।
2. औघोगिक परियोजना की ओर से भु–अर्जन से प्रभवितों को पुर्नस्थापना कार्य /अनुमोदित पुनर्वास योजना के तहत दिये जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ पहुचाना एवं उसका कियान्वनयन किया जाना उचित होगा।
3. विचाराधीन भूमि पर अथवा उससे लगे हुये कृषि भूमि पर कोई शासकीय संपत्ति, नहर, स्कूल इत्यादि हैं तो उसे क्षति न पहुचाई जावे एवं इसका उल्लेख किया जावे।
4. प्रभवितों को देय समस्त लाभों को समय समय पर कलेक्टर द्वारा नियमानुसार सुनिस्चित किया जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला रायगढ़

5. भूमि पर कार्य करने से पूर्व जिस–जिस विभाग/संस्थान से अनापत्ती आदि प्राप्त करना होगा उसको प्राप्त करने उपरांत ही आगामी कार्यवाही किया जावेगा। सी.एस.आर. के सभी कार्य जो शासन/ जिला प्रशासन की ओर से सौंपा जावेगा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। तथा छ.ग0 राज्य कि आदर्श पुर्नवास नीति 2007 एवं प्रकरण के अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुकम में शुद्व आय का निर्धारित प्रतिशत जैसा कि पुर्नवास नीति अथवा समय–समय पर शासन की ओर से जारी किये जावेगें औद्योगिक संस्थान क्षेत्र की विकास हेतु जिला प्रशासन अथवा सक्षम प्राधिकारी के निर्देश अनुसार व्यय

करेगा। अनुमोदित पुर्नवास नीति के अनुसार प्रभावितों को पात्रता अनुसार नौकरी / रोजगार की व्यवस्था की अनिवार्यता होगी।

छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ–4–28/सात–1/2014 नया रायपुर दिनांक 25.05.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बाजार मूल्य गुणांक कारक (एक) होगा । फलस्वरूप प्रकरण में नवीन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया जा रहा है जिसमें भूमि के मूल्य एवं मूल्य का 100 प्रतिशत सोलेशियम व धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से ब्याज राशि शामिल किया जा रहा है। नये अधिनियम की धारा 96 में प्रदत्त ब्याज की राशि को आयकर से छूट दिये जाने के कारण आयकर की कटौती नही किया गया है । छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक 241/सात–1/16 नया रायपुर दिनांक 23.12.2016 के अनुसार परिसपत्ति के मुआवजे को कृषि उपयोग हेतु होने के कारण आयकर नहीं काटा गया है।

राज्य के पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों के अनुसार पड़त भूमि के मामले में रू. 6 लाख प्रति एकड़ असिंचित एक फसली भूमि के मामले में रू. 8 लाख प्रति एकड़ एवं सिंचित दो फसली भूमि के मामले में रू. 10 लाख प्रति एकड़ से किसी भी दशा में कम नही होगा। प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार ही अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा निर्धारण उपरोक्तानुसार दर पर किया गया है एवं मुआवज़ा राशि उक्त से कम नहीं है। भविष्य में पृथक से कोई अन्य निर्देश मुआवजा निर्धारण के संबंध में प्राप्त होता है तो उक्त निर्देश इस प्रकरण में भी लागू होगा। अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में अवैध नामांतरण बंटवारा जांच के दौरान होना नही पाया गया। अर्जित की जा रही भूमि में कोटवारी भूमि या अन्य शासकीय भूमि शामिल नहीं है।

ग्राम डोलेसरा के उक्त प्रकरण के संबंध में पदुमलाल एवं अन्य 81 द्वारा इस भू अर्जन संबंधी विविध मुद्दों पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका कमांक 1795/2016 प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस कार्यालय द्वारा शासन पक्ष की ओर से दिनांक 02.12.2016 को जवाब पेश किया गया है। उक्त अवधि में याचिकाकर्तागण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त याचिका में अंतरिम आवेदन को निरस्त करते हुए दिनांक 10.03.2017 को अंतरिम आदेश पारित कर निर्णय दिया गया है कि

"In the meanwhile, any award passed shall remain subject to final outcome of the writ petition. Accordingly, I.A.No.1 stands disposed of."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुसार इस प्रकरण में पारित अवार्ड, याचिका कमांक 1795/2016 में पारित अंतिम निर्णय से बाध्य है। चूंकि यह भू अर्जन संबंधी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन (sub-judice) है एवं इस प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रकिया व्यपगत (lapse stage) में है, अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अवार्ड पारित किया जाता है एवं चूंकि इस प्रकरण में पारित अवार्ड आदेश, पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय के याचिका कमांक 1795/2016 से प्रभावित रहेगा अतः माननीय उच्च न्यायालय में लंबित उच्च याचिका में पारित निर्णय इस प्रकरण में पालन हेतु बाध्यता रहेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में ग्राम डोलेसरा की अर्जित भूमि रकबा 174.098 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों की कीमत सहित सकल मुआवजा राशि **678598722.00** (सरसठ करोड पचासी लाख अन्ठानबे हजार सात सौ बाईस रूपये मात्र) निर्धारण किया जाकर अवार्ड अनुमोदन हेतु शासन के दिशा निर्देशों भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के परिप्रेक्ष्य में अवार्ड प्रतिवेदन कलेक्टर महोदया रायगढ़ की ओर अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत। प्रकरण में देय भूमि का मुआवजा पत्रक 1क, वृक्ष का मुआवजा पत्रक भाग–1ग में है एवं परिसंपत्तियों का मुआवजा पत्रक भाग–1 ख है, जिसे अवार्ड आदेश का अंग माना जावेगा। परिगणित मुआवजा राशि का भुगतान पत्रक भाग–1 घ अनुसार किया जावेगा ।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

भू–अर्जन अधिकारी एवं (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
घरघोड़ा, जिला रायगढ़